


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 02.02.2021 द्वारा तेजाराम राखेचा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौखा, मण्डोर जिला जोधपुर का स्थानान्तरण राउमावि कोसाना जिला जोधपुर किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध तेजाराम राखेचा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2979/2021 तेजाराम राखेचा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 2979/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 18.02.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.02.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी तेजाराम राखेचा के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

श्री तेजाराम राखेचा द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अपना समायोजन राउमावि कूड, जोधपुर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किये जाने का निवेदन किया गया। श्री राखेचा के उक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका समायोजन माननीय न्यायालय के याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि कूड जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाता है। श्रीमती संगीता अरोड़ा विभागीय आदेश दिनांक 02.02.2021 की अनुपालना में राउमावि चौखा, मण्डोर जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगी।




(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/तेजाराम/2979/2021/216 दिनांक: 24/02/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)